

अनुदान संख्या 6 – उर्वरक विभाग
GRANT No. 6 – DEPARTMENT OF FERTILISERS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	83596,77,00		
		157291,93,00	157785,30,93	+493,37,93
पूरक	Supplementary	73695,16,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			4436,65,39
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	444,62,00	81,56,00	-363,06,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			363,06,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, हालांकि, जुलाई, 2021, दिसंबर, 2021 तथा मार्च, 2022 में ₹7369516.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत प्रावधान से ₹49337.93 लाख अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय ₹49337,93,293 था)। अधिक व्यय के लिए संसद द्वारा अधिक मांग की स्वीकृति द्वारा विनियमन की आवश्यकता है।

1. In the revenue section of the grant, although supplementary grant of ₹7369516.00 lakhs was obtained in July, 2021, December, 2021 and March, 2022, the expenditure exceeded the sanctioned provision by ₹49337.93 lakhs (actual excess was ₹49337,93,293). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय/ बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचतें हुआ/ हुई: -

Excess/savings occurred under the following major heads: -

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"			
फसल कृषिकर्म	Crop Husbandry			
मू	O.	2076200.00		
पू	S.	4343001.00	5276997.58	5276996.57
पु	R.	-1142203.42		-1.01

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
उद्योग	Industries			
मू.	O.	6279768.00		
पू.	S.	3026515.00	10005190.47	10498190.43
पु.	R.	698907.47		+492999.96

(I) विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए अधिक व्यय (₹698907.97 लाख) हुआ जैसा कि मुख्य शीर्ष "2852" – "उर्वरक उद्योग" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹1526515.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था : –

(का) "उर्वरक सहायिकी" –

(क) "यूरिया सहायिकी" – ₹600642.70 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1031524.62 लाख हुआ।

(ख) "बीवीएफसीएल को अनुदान" – ₹9999.50 लाख।

(खा) "अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक योजना – यूरिया सहायिकी" – ₹58143.33 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹99062.64 लाख था।

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – यूरिया सहायिकी" – ₹30122.44 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹51321.17 लाख था।

2. उपर्युक्त अधिक व्यय को निम्नलिखित प्रकार बचतों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया।

(I) ₹1.50 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) The excess (₹698907.97 lakhs) occurred for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹1526515.00 lakhs under Major Head "2852" - "Fertilizer Industries" - under the following heads: -

(A) "Fertilizer Subsidy" -

(a) "Urea Subsidy" - ₹600642.70 lakhs. Actual excess, however, was ₹1031524.62 lakhs.

(b) "Grant to BVFCL" - ₹9999.50 lakhs.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Urea Subsidy" - ₹58143.33 lakhs. Actual excess, however, was ₹99062.64 lakhs.

(C) "Tribal Area Sub-Plan – Urea Subsidy" - ₹30122.44 lakhs. Actual excess, however, was ₹51321.17 lakhs.

2. The above excess was partly offset by savings as under: -

(I) Provision of ₹1.50 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2401" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा: -

(का) "खाद तथा उर्वरक - पोषण आधारित सहायिकी नीति" - ₹1814598.80 लाख के मूल प्रावधान को ₹3795782.88 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹5610381.68 लाख किया गया जो, तथापि, ₹998286.67 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - पोषण आधारित सहायिकी नीति" - ₹172324.60 लाख के मूल प्रावधान को ₹360469.08 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹532793.68 लाख किया गया जो, तथापि, ₹94802.97 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - पोषण आधारित सहायिकी नीति" - ₹89276.60 लाख के मूल प्रावधान को ₹186749.04 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹276025.64 लाख किया गया जो, तथापि, ₹49114.79 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें अंतिम तिमाही में कम हुई बिक्री के कारण कम बिल प्राप्त होने तथा कंपनियों से अपूर्ण दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2401" - remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each: -

(A) "Manures and Fertilizers - Nutrient Based Subsidy Policy" - the original provision of ₹1814598.80 lakhs was augmented to ₹5610381.68 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3795782.88 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹998286.67 lakhs;

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Nutrient Based Subsidy Policy" - the original provision of ₹172324.60 lakhs was augmented to ₹532793.68 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹360469.08 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹94802.97 lakhs; and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Nutrient Based Subsidy Policy" - the original provision of ₹89276.60 lakhs was augmented to ₹276025.64 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹186749.04 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹49114.79 lakhs.

Savings under the above three heads were due to receipt of less bills owing to decreased sale in the last quarter and receipt of incomplete claims from the companies.

3. In capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत -
Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "6855"	Major Head "6855"			
उर्वरक उद्योगों को ऋण	Loans for Fertilizer Industries			
मू.	O.	44462.00		
			8156.00	8156.00
पु.	R.	-36306.00		..

(I) ₹4.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹4.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads.

(II) "सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकरणों को ऋण – हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड" के अंतर्गत – ₹36302.00 लाख की बचत (₹44458.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण के दौरान ब्याज की अदायगी के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(II) Under "Loans to Public Sector and other Undertakings – Hindustan Urvarak and Rasayan Limited" – saving of ₹36302.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44458.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards payment of interest during construction.